निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़(राजस्थान)

मि0न0 29 / प्रा0पत्र(आर्म्स) / 19

राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़ (प्रार्थी)
बनाम
राणाप्रताप सिंह आ0 मोड सिंह जाति राजपूत नि0 सिरपोई तहसील पिड़ावा (अप्रार्थी)

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 17 आर्म्स एक्ट

उपस्थितः– पेरोकार सरकार
श्री धीरजसिंह झाला अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांकः 31.07.2019**

उक्त प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 26.04.2019 से पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1686 / 2000 के अवधि 01.01.2016 से 31.12.2018 तक के लिये नवीनीकरण हेतु कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, आवेदन प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के आचरण एंव आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में पुलिस अधीक्षक झालावाड से जांच रिपोर्ट ली गई । पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना उल्लेखित करते हुये असहमति प्रकट किये जाने पर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करने का आदेश क्रमांक 1685 दिनांक 16.03.2017 (क0स0 06 के सन्दर्भ में) पारित किया गया था । तत्पश्चात अनुज्ञापत्रधारी द्वारा उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 25 / 2017 / अपील / आर्म्स / झालावाड़ निर्णय दिनोंक 22.05.2017 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर प्रकरण 47 / प्रा0पत्र / 17 दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 17.01.2018 से पूर्व में पारित निर्णय को यथावत रखा गया, उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा में अपील की जाने पर प्रकरण संख्या 11 / 2018 / अपील / आर्म्स / झालावाड़ निर्णय दिनांक 26.04.2019 से न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.01.2018 को पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी के चाल–चलन तथा आपराधिक गतिविधियों एवं शस्त्र की आवश्यकता / औचित्य के संबन्ध में वर्तमान वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में माननीय संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय के आलोक में स्पष्ट रिपोर्ट स्थिति स्पष्ट करते हुए पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से प्राप्त की गई जिस पर उनके द्वारा पत्रांक 5640 दिनांक 18.07.2019 से आवेदक की गतिविधियां सामान्य बताई तथा आवेदक के विरूद्ध मुकदमा न0 20 / 11 धारा 19 / 54 EX एक्ट दर्ज होना व उसमें प्रोबेशन दिया जाना व सजायाब नही होना अंकित किया गया थाना सुनेल में अन्य कोई प्रकरण दर्ज नही होना अंकन किया जाकर नियमानुसार अनुज्ञापत्र बहाल कर नवीनीकरण किये जाने पर अनापत्ति प्रकट की गई।

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

बहस उभय पक्ष सुनी। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गया कि पुलिस अधीक्षक झालावाड़ की रिपोर्ट के आधार पर ही अनुज्ञापत्रधारी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर ही कार्यालय द्वारा पूर्व में आदेश 1685 दिनांक 16.03.2017 (क्र0स0 06 के सन्दर्भ में) पारित किया गया था जो सही पारित किया गया था। इस पर अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया कि अप्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र 2000 में जारी किया गया था व उसके एक्साईज एक्ट का प्रकरण दर्ज होने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.10.2011 से परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 400/–रू0 न्यायालय में अदा करने के आदेश दिये गये थे उक्त केस समाप्त हो चुका है प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में किसी तरह का कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित आदेश की पालना में अनुज्ञापत्र 1686/2000 बहाल किया जाकर अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत करने के आदेश प्रदान किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। कार्यालय द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण बाबत ली गई जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड की नकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञापत्रधारी को सुनवाई का अवसर देकर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र 1686/2000 निरस्त किया गया था । जिसकी अपील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा में की जाने पर उनके निर्णय दिनांक 22.05.2017 से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश 1685 दिनांक 16.03.2017 (क्र0स0 06 के सन्दर्भ में) अपास्त किया गया व पुनः परीक्षण कर निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया। प्रकरण माननीय संभागीय आयुक्त कोटा से प्राप्त होने पर प्रकरण 47/प्रा0पत्र/17 दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 17.01.2018 से पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2017 को यथावत रखा गया, उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा में अपील की जाने पर प्रकरण संख्या 11/2018/अपील/आर्म्स/ झालावाड़ निर्णय दिनांक 26.04.2019 से न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.01.2018 को पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी के चाल–चलन तथा आपराधिक गतिविधियों एवं शस्त्र की आवश्यकता/औचित्य के संबन्ध में वर्तमान वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। प्रकरण में माननीय संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय के आलोक में स्पष्ट रिपोर्ट स्थिति स्पष्ट करते हुए पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से प्राप्त की गई जिस पर उनके द्वारा पत्रांक 5640 दिनांक 18.07.2019 से से आवेदक की गतिविधियां सामान्य बताई तथा आवेदक के विरूद्ध मुकदमा न0 20/11 धारा 19/54 EX एक्ट दर्ज होना व उसमें प्रोबेशन दिया जाना व सजायाब नही होना अंकित किया गया थाना सुनेल में अन्य कोई प्रकरण दर्ज नही होना अंकन किया जाकर नियमानुसार अनुज्ञापत्र बहाल कर नवीनीकरण किये जाने पर अनापत्ति प्रकट की गई। चूंकि पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में कोई प्रकरण दर्ज नही होना दर्शित करते हुए नियमानुसार अनुज्ञापत्र बहाल कर नवीनीकरण किये जाने पर अनापत्ति प्रकट की गई। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अप्रार्थी के पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र संख्या 1686/2000 को बहाल किये जाने व नियमानुसार नवीनीकरण शुल्क जमा होने की स्थिति में आगामी अवधि के लिये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के आदेश दिये जाते हैं। अनुज्ञापत्र व कार्यालय पंजिका में अनुज्ञापत्र बहाली का नोट अंकित करते हुए आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किया जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ न्याय अनुभाग स्थानीय कार्यालय को दी जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड